

73

Government of Himachal Pradesh  
Rural Development Department

No. SMN-31/2006-RDD-II-

Dated : Shimla-9 August, 2010

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the scheme titled "Guru Ravi Dass Provision of Civic Amenities" for implementation in all the constituencies of districts (Except Tribal constituencies and Urban constituency of District Shimla). The funds under the scheme would be released by Social Justice & Empowerment Department and will be executed by Rural Development Department.

By Order

Secretary (RD)  
to the Government of Himachal Pradesh

Endst. No. : As above 1258-1398 Dated : Shimla-9<sup>16</sup> August, 2010

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Secretary to Her Excellency the Governor, H.P. Shimla-2
2. The P.S. to the Hon'ble Chief Minister, H.P. Shimla-2
3. The P.S. to the Hon'ble RD&PR Minister, H.P. Shimla-2
4. The P.S. to the worthy Chief Secretary to the Govt. of H.P. Shimla-2
5. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
6. All the Deputy Commissioners in H.P.
7. All the Project Officer, DRDAs in H.P.
8. All the Block Development Officers in H.P.
9. Guard file.

Joint Secretary (RD)  
to the Government of Himachal Pradesh

## गुरु रविदास सार्वजनिक उन्नयन योजना , 2010-2011

### 1. शीर्षक :-

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों (SC Dominated) में वातावरण सुधार हेतु चलाई जाने वाली यह योजना गुरु रविदास सार्वजनिक उन्नयन योजना 2010-2011 कहलायेगी।

### 2. विस्तार तथा प्रारम्भ:-

यह योजना सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से गैर-जनजातीय जिला (64 विधान सभा क्षेत्र )हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी है। तथा इसमें शिमला शहरी विधान सभा क्षेत्र भी सम्मिलित नहीं हैं।

### 3. उद्देश्य:-

गुरु रविदास सार्वजनिक उन्नयन योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों की बस्तियों में वातावरण के सुधार के लिए विभिन्न कार्य निर्मित करवाने के लिए अनुदान प्रदान करना है।

### 4. परिभाषा:-

“कार्य” से तात्पर्य ऐसी योजना से है जिनके निर्माण हेतु प्राक्कलन एक लाख रू० से अधिक का हो।

4.1 “सरकार” से तात्पर्य हिमाचल प्रदेश सरकार से है।

4.2 “निदेशक” से तात्पर्य निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग से है।

4.3 “उपायुक्त” से तात्पर्य सम्बन्धित जिला के उपायुक्त से है।

4.4 “परियोजना अधिकारी, से तात्पर्य सम्बन्धित जिला के परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से है।

4.5 “खण्ड विकास अधिकारी”, से तात्पर्य सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से है।

4.6 “सक्षम प्राधिकारी” से तात्पर्य सम्बन्धित पंचायत के तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता से है।

4.7 “अनुबन्ध” से तात्पर्य इस योजना के साथ संलग्न अनुबन्धों से है।

### 5. पात्रता:-

अनुसूचित जाति बहुल (SC Dominated) बस्तियों में वातावरण के सुधार हेतु बड़े कार्य जैसे बस्तियों के भीतर रास्तों तथा नालियों को पक्का करना, सामुदायिक भवन, स्नान गृह (स्त्री और पुरुष)सामुदायिक शौचालय/सामुदायिक मूत्र विर्सजन घर, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से सम्बन्धित कार्य, सौर ऊर्जा लाईट, सामुदायिक बगीचे, सामुदायिक खेल मैदान, ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन, वर्मी कम्पोस्ट (एकल) पेयजल योजना का निर्माण जैसे कुआं/वाबड़ी/हैंड पम्प इत्यादि का निर्माण करवाने के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित पंचायत पात्र होगी।

### 6. अनुदान राशि:-

मु० 5.00 लाख रुपये तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा बड़े कार्यों के निर्माण हेतु तैयार प्राक्कलन के आधार पर।

X

6.1 वित्तीय वर्ष में गैर-जनजातीय जिला की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 7 वार्ड तक लिये जा सकते हैं। और मु0 5.00 लाख रू0 तक प्रति वार्ड व्यय किये जा सकते हैं।

7. निष्पादन ऐजेंसी:-

इस योजना के अन्तर्गत बड़े कार्यों का निष्पादन सम्बन्धित पंचायत, के क्रमशः तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की देखरेख में किया जाएगा।

8. कार्य योजना:-

योजना के अधिसूचित होने के छः माह के भीतर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अपने विकास खण्ड में अनुसूचित जाति बाहुल्य (SC Dominated) पंचायत/गांव /उप गांव का सर्वेक्षण /समन्वय करके निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार बड़े कार्यों को चिन्हित करके सूचियां तैयार करेंगे। उक्त बस्तियों में मनरेगा के अन्तर्गत चिन्हित किये गये कार्य इस योजना में शामिल नहीं होंगे।

8.1 वित्तीय वर्ष के आरम्भ में सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उनके जिला को इस योजना के अन्तर्गत आवंटित बजट को विधान सभा क्षेत्र बार अनुसूचित जाति की बाहुल्य जनसंख्या के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से प्रस्ताव मांगेंगे। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, बजट की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त प्राथमिकता सूचियों में से चिन्हित पंचायतों के प्रधान/सचिव/पंचायत सहायक से सम्यक करके पंचायत प्रस्ताव/कार्यों के प्राक्कलन तैयार करवायेंगे।

8.2 पारित पंचायत प्रस्ताव में बस्ती में रह रहें अनुसूचित जाति के लोगों की कुल जनसंख्या तथा घरों की संख्या स्पष्ट दी जायेगी तथा प्रस्तावित कार्य का पूर्ण औचित्य देते हुए दर्शाया जाये कि प्रस्तावित कार्य के लिए पहले किसी विभाग/स्रोत से अनुदान प्राप्त न किया गया हो।

8.3 प्रस्तावित बड़े कार्यों के प्राक्कलन तथा साईट प्लान प्राधिकारी से तैयार करवाना होगा। साईट प्लान में वर्तमान घरों की स्थिति दर्शाते हुए रास्ते तथा नालियों की लम्बाई, चौड़ाई, सैक्शन ऑफ पाथ/ड्रेन इत्यादि का विवरण दिया जायेगा। प्राक्कलन सम्बन्धित पंचायत के तकनीकी सहायक तैयार करेंगे तथा ग्रामीण विकास विभाग के सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता से तकनीकी रूप में अनुमोदित होने चाहिए।

8.4 बड़े कार्य की अनुमानित लागत का 1.5 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में सम्बन्धित पंचायत को विभाग द्वारा स्वीकृत की जाएगी, जिसमें से पंचायत तकनीकी सहायक को बड़े कार्य के निर्माण के प्राक्कलन तैयार करने /कार्य की देखरेख करने तथा कार्य का आकलन करने हेतु सेवा शुल्क के रूप में अदा करेगी।

8.5 सम्बन्धित पंचायतों से प्राप्त प्रस्ताव को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता मौके पर जाकर साईट प्लान का मिलान करके अपनी पूर्ण रिपोर्ट /सिफारिश सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रस्तुत करेंगे।

8.6 परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, के कार्यालय में प्राप्त प्रस्तावों की जांच करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त प्रस्तावों में निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण हों तथा पूर्ण प्रस्तावों को सम्बन्धित जिलाधीश के सम्मुख बजट की उपलब्धता के अनुसार अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

### 9. स्वीकृति:-

सम्बन्धित जिला उपायुक्त प्रस्तावों को प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।

9.1 स्वीकृति आदेश में नियम व शर्तें दर्शाते हुए प्रति सम्बन्धित पंचायत/स्थानीय निकाय के अलावा निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, जिला कोषाधिकारी, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को भेजी जाएगी तथा स्वीकृति के आधार पर सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/खण्ड विकास अधिकारी राशि का आहरण सरकारी खजाने से करेंगे।

### 10. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया:-

अनुदान राशि के भुगतान से पूर्व सम्बन्धित पंचायत को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के साथ तीन रूपये के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध निर्धारित प्रपत्र पर करना होगा। अनुबन्ध -ख

10.1 स्वीकृत राशि का भुगतान सम्बन्धित पंचायत को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दो समान किशतों में चैक/ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। भुगतान की जाने वाली राशि की रसीद सम्बन्धित पंचायत के सचिव को निर्धारित प्रपत्र-6 पर जारी करनी होगी।

10.2 प्रथम किशत का भुगतान अनुबन्ध/ रसीद प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। द्वितीय किशत प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकाय को जारी की गई प्रथम किशत की राशि का उपभोग प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तथा व्यय की गई राशि का विवरण बाउचर की दोहरी प्रतियों सहित सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। सम्बन्धित विकास खण्ड के कनिष्ठ अभियंता निर्माण कार्य का मौके पर जाकर निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट पंचायत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों सहित सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

10.3 सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी सम्बन्धित पंचायत के सचिव को द्वितीय किशत चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से जारी करेंगे।

10.4 योजना के पूर्ण होने से सम्बन्धित रिपोर्ट, द्वितीय किशत की राशि का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तथा व्यय की गई का विवरण राशि व बाउचर की दोहरी प्रतियों सहित एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्माण कार्य की आकलन रिपोर्ट सम्बन्धित पंचायत के सचिव द्वारा सम्बन्धित विकास खण्ड के कनिष्ठ अभियंता को प्रस्तुत करेंगे। कनिष्ठ अभियंता निर्माण कार्य का मौका पर जाकर निरीक्षण करके कार्य के पूर्ण होने की रिपोर्ट तथा पंचायत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को ऑडिट एवं कार्यालय रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करेंगे।

27

- 10.5 यदि सम्बन्धित पंचायत से निर्माण कार्य की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो समयावधि पूर्ण होने के एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत को इस सम्बन्ध में नोटिस जारी करेंगे। यदि नोटिस का उत्तर जारी होनी की तिथि के एक सप्ताह के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत के सचिव के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही आरम्भ करेंगे।
- 10.6 स्वीकृत कार्यों का शत-प्रतिशत निरीक्षण सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, द्वारा किया जाएगा तथा पूर्ण हुये कार्यों का 25 प्रतिशत निरीक्षण, परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष के भीतर किया जाएगा।
11. **कार्य पूर्ण करने की अवधि:-**  
निर्माण कार्य को पूर्ण करने की समयावधि प्रथम किश्त जारी करने की तिथि से एक वर्ष तक होगी, जो विशेष परिस्थितियों में छः माह तक सम्बन्धित उपायुक्त की अनुमति से बढ़ाई जा सकती है लेकिन कार्य पूर्ण करने के लिए संशोधित प्राक्कलन मान्य नहीं होगा।
12. **अभिलेख का रख-रखाव:-**  
सम्बन्धित पंचायत के सचिव का यह दायित्व होगा कि व योजना कार्यान्वयन पर हुए व्यय की पावतियां, मस्ट्रोल, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि का रख-रखाव करेंगे तथा आडिट के समय उन्हें लेखा परीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त यह समस्त रिकार्ड विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
13. **योजना का अनुश्रवण:-**  
सम्बन्धित परियोजना अधिकारी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का अनुश्रवण त्रैमास्य में एक बार अवश्य करेंगे तथा समय-2 पर सम्बन्धित पंचायत के साथ पत्राचार करके लम्बित कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे, तथा योजना की मासिक/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध -ग पर निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में प्रस्तुत करेंगे।
14. **लेखा शीर्ष :-**  
अनुसूचित जातियों की बस्तियों में वातावरण के सुधार योजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय लेखाशीर्ष 2225-अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण -01 अनुसूचित जाति का कल्याण --789-03 (सूस) (योजना के अन्तर्गत) अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर महालेखाकार की सहमति से किये गए संशोधित लेखाशीर्ष में प्रावधित बजट में से किया जाएगा।
15. **लेखों के ऑडिट :-**  
योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय का आडिट महालेखाकार (लेखा) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

28

ANNEXURE-B

AGREEMENT

This agreement made at .....the day of .....between the Gram Panchayat .....through Sh/Smt. ....Panchayat Secretary/ Panchayat Sahayak Gram Panchayat .....Tehsil .....District .....(which expression shall unless exclude by or repugnant to the context) include their heirs, executors, and assignees of the one part and the Governor of Himachal Pradesh of the other part.

Whereas the Gram Panchayat has decided to construct a .....hereinafter referred to as the said work at an estimated cost of Rs....and whereas the Himachal Pradesh Government, Rural Development Department has agreed to pay the Gram Panchayat .....Grant -in-Aid of Rs. ....for the construction of said work in two instalments on the terms and conditions herein after specified, which have been to by the Gram Panchayat.

Now, therefore in consideration for the Government having agreed to pay the Gram Panchayat for the said work. The said Panchayat hereby agree with the Government as follows:-

1. That the work shall be executed as per Plans and estimates approved by the Government or by competent authority appointed by the Government for the purpose.
2. The work shall be subject to supervision of the technical staff of the concerned Panchayat.
3. The aforesaid grant in aid shall be utilized towards expenditure on the execution of the said work and for no other purpose whatsoever.
4. Account shall be kept by the Panchayat in such manner as prescribed by the Department of Panchayati Raj Himachal Pradesh. These accounts shall be liable to inspection by the officers of the Department of Rural Development Department /audit and the completion certificate /utilization certificate shall be furnished to the Block Development Officer on completion work supported by duplicated copies of payees receipts and vouchers.
5. The assessment of the work done by the Panchayat shall be carried out in accordance with approved plans/estimate prepared by the Takniki Sahayak of the concerned Takniki Sahayak shall issued work assessment report and completion certificate on the prescribed format.

- 6. In case the work is not found to be upto the mark and is below the specification prescribed, its evaluation by the Takniki Sahayak of the concerned Gram Panchayat will be done at reduced rates.
- 7. In case the work reported by the Takniki Sahayak to be so much below specifications as would not serve the purpose for which it is constructed or is likely to be a danger to the Public safety, the Secretary (RD) shall have the right to reject, and demolish or replace the work at the expenses for the Panchayat and the Government shall not be liable to pay compensation or sanction additional grant --in- aid for so replacing or re-constructing the said work.
- 8. The said work shall be completed within a period one year from the date of release of funds.
- 9. In case the actual expenditure of the said work is more than the estimated expenditure herein before mentioned, the Panchayat shall meet the excess expenditure in full.
- 10. The Panchayat shall maintain the said work in good and proper state of repairs and conditions to the satisfaction of the Government. The Panchayat shall keep the said work open for proper use of all the inhabitants without distinction of caste and creed.
- 11. If, the Panchayat shall at any time make any default in the programme or observance or any of the terms and conditions thereof the whole amount of grant-in-aid shall immediately become payable from the Panchayat together with the interest therein @ 12.5% per annum from the date of release of funds alongwith costs, charges, and expenses incurred by the government in order the recovery thereof and such some shall without prejudice the any other rights an remits of government in order the recovery thereof and such some shall without prejudice to any other rights and remits of government to be recoverable from the Panchayat as arrears of land revenue

In witness where of the members of the Panchayat have herein set their hands and seal and the .....for an on behalf of the Governor of Himachal Pradesh, his hand seal here to the .....day of .....first above written.

Signed and sealed and delivered by .....

Witness

## अनुसूचित जातियों की बस्तियों में वलावरण के सुधार योजना के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट

जिला का नाम

वर्ष .....

जिला का नाम	स्वीकृत निर्माण कार्य का नाम	पंचायत का नाम	स्वीकृत राशि	अनुदान स्वीकृत की तिथि	प्रथम किरत की राशि	प्रथम किरत करने की तिथि	द्वितीय किरत की राशि	द्वितीय किरत करने की तिथि	व्या स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है यदि नहीं तो पूर्ण दिवस दे	कार्य पूर्ण करने हेतु किये गए प्रयासों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

88